हत्या का खुलासा : मारपीट के बाद घायल युवक के घर जाकर सिरप के बहाने आरोपी ने पिलाया था कीटनाशक

❒ मर्ग जांच में लैलूंगा पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, मारपीट करने वाले चार युवकों पर हत्या का अपराध दर्ज, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। थाना लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुनु में गत 5 अक्टूबर 2022 को गांव के चार युवकों ने मिलकर मामूली झगड़ा विवाद में छिंदखोल गुनु बस्ती के शेखर सिदार (उम्र 26 साल) को हाथ मुक्का, डंडा से मारपीट किये और शेखर को मरा हुआ समझकर बस्ती, गली में छोड़कर भाग गये। आरोपियों को जब शेखर सिदार के जीवित होने का पता चला तो आरोपियों में से एक युवक शेखर के घर गया और उसके घरवालों को शेखर को ठीक होने के लिये दवा (सिरप) पिलाने के बहाने कीटनाशक (पॉइजन) पिलाकर आ गया। आरोपियों की सोची समझी प्लानिंग लैलूंगा पुलिस की मर्ग जांच में धरी की धरी रह गई। मर्ग जांच में पुलिस ने जप्त व्हीसरा का रसायनिक परीक्षण कराया गया जिसकी रिपोर्ट में मृतक को जहरीला पदार्थ (आर्गेनोफास्फोरस कीटनाशक मोनोकोटोफास एवं मिथाईल पैराथियान) नामक जहर पिलाये जाने से मौत होना स्पष्ट हुआ जिसकी पुष्टि मर्ग जांच में हुआ है।

जानकारी के मुताबिक 06 अक्टूबर 2022 को मृतक - शेखर सिदार के पिता अहिबल सिदार के द्वारा थाना लैलूंगा में मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया कि दिनांक 05/10/22 को गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि शेखर सिदार ग्राम गुनु में एक के दुकान के सामने बेहोश पड़ा है, तब जाकर मोटर सायकल से शेखर को घर लाये, शेखर के दोनों बांह में खरोंच का निशान था। शेखर को पानी पिलाने का प्रयास किये नहीं पीया। ग्राम गुनु का देवप्रसाद राठिया आकर देखा और थोड़ी देर बाद एक सिरप पिलाकर चला गया। दूसरे दिन सुबह शेखर फौत हो गया। लैलूंगा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव पंचनामा, पीएम कराया गया। डाक्टर द्वारा मृतक के पीएम रिपोर्ट में जहर सेवन से मृत्यु होना लेख करते हुए विसरा प्रिजर्व कर रसायनिक परीक्षण कराने की राय देने से मृतक के प्रिजर्व विसरा का रासायनिक परीक्षण कराया गया।

प्रारंभ से ही लैलूंगा पुलिस मर्ग को संदेहास्पद मृत्यु मानकर सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के द्वारा जांच को लेकर थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक रमाशंकर तिवारी को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा मर्ग जांच में गति लाते हुये एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त कर गवाहों से पुन: बारीकी से पूछताछ किया गया जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि शेखर सिदार (मृतक) के साथ घटना दिनांक 05/10/2022 को आरोपी- जलंधर यादव, राम राठिया, गोपाल यादव, देवप्रसाद राठिया के द्वारा मारपीट किया गया था। घायल शेखर सिदार को जब उसके घरवाले उठाकर लाये तो देवप्रसाद राठिया, शेखर के घर जाकर देखा शेखर बेहोश था। देव प्रसाद ने शेखर के माता पिता, पत्नी को लारीपानी से टानिक लाकर पिला देता हूं बोलकर उनके घर से गया और कुछ समय बाद शेखर के घर वापस आकर कोई जहरीली पदार्थ शेखर को पिला दिया। मर्ग जांच पर आरोपियों के द्वारा षडयंत्र पूर्वक शेखर की जहर देकर हत्या करना पाये जाने पर दिनांक 31.03.2023 को आरोपी जलंधर यादव, राम राठिया, देव प्रसाद राठिया, गोपाल यादव के विरूद्ध अपराध धारा 302, 328,120 बी, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये दबिश दिय गया जिसमें आरोपी जालंधर यादव उर्फ टंकाधर यादव और राम राठिया को पुलिस हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपी फरार हैं।

हिरासत में लिये गये आरोपियों ने बताया कि दिनांक 05/10/2022 के शाम 6-7 बजे ग्राम गुनु बस्ती में जलंधर यादव, राम राठिया, देवप्रसाद राठिया, गोपाल यादव चारों बैठे थे, कहीं से शेखर आया और झगड़ा विवाद करने लगा जिसे चारों मिलकर हाथ-मुक्का, डंडा से मारपीट किये, शेखर जमीन में गिर गया जिसे मरा हुआ समझकर चारों अपने-अपने घर चले गये। बाद में पता चला कि शेखर जीवित है, उसके घरवाले उठाकर घर ले गये हैं। तब शेखर मारपीट को बता ना दें कहकर चारों एक राय होकर देव राठिया को शेखर के घर भेजे जो उसे बेहोश होना बताया फिर शेखर को जान से मारने के लिये देवप्रसाद को किटनाशक (जहर) पिलाने भेजे थे। देवप्रसाद राठिया सिरप के बहाने शेखर को किटनाशक पिलाकर हत्या कर दिया। गिरफ्तार आरोपी जलंधर यादव उर्फ टंकाधर यादव पिता तुलाराम यादव उम्र 32 साल, राम राठिया पिता चतुर राम राठिया उम्र 19 साल दोनों निवासी ग्राम गुनु थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ के पास से घटना में प्रयुक्त डंडा जप्त कर हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

एसएसएपी सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा थाना लैलूंगा के सुपरविजन अधिकारी दीपक मिश्रा के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन पर मामले के खुलासे में थाना प्रभारी लैलूंगा एसआई रमाशंकर तिवारी, एएसआई टीआर खुंटिया एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण एवं खास

नदी में मिली बच्चे की लाश : मां घर से बाहर गई तो 6 माह के दुधमुंहे को उठा ले गया था कोई अज्ञात

दुर्ग (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां किसी ने घर से 6 माह के बच्चे को चोरी कर नदी में फेंक दिया है। बच्चे की लाश शनिवार सुबह शिवनाथ नदी में मिली। गोताखोरों की मदद से बच्चे का शव नदी से निकाला गया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, हिर्री निवासी दिलीप यादव का 6 माह का बच्चा नगपुरा से 30-31 मार्च की रात चोरी हो गया था। दिलीप ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मालती यादव डिलीवरी के बाद से अपने मायके नगपुरा में थी। डिलीवरी के बाद वहीं रहकर इलाज करा रही थी। 30-31 मार्च की रात करीब 3 बजे मालती शौच के लिए उठी। उसने 6 माह के बच्चे सिद्धार्थ यादव को वहीं सुलाया और अपनी मां मुन्नी बाई के साथ शौच के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से लौटकर देखा की बिस्तर में उसका बच्चा नहीं है। मालती काफी घबरा गई। उसने बच्चे को आसपास खोजा जब वो नहीं दिखा तो उसने अपनी मां और भाई हीरेंद्र यादव को बताया।

जवानों ने जुंगड़ा में 1 नक्सली स्मारक ध्वस्त किया

कांकेर (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कोयलीबेड़ा थाना पुलिस के जवानों ने कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जुंगड़ा में नक्सलियों द्वारा मारे गए नक्सलियों की याद में नक्सली स्मारक बना रखा था, अभियान के दौरान जवानों ने 01 नक्सली स्मारक ध्वस्त कर दिया है। नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा क्षेत्र के कई इलाकों में इन दिनों लगातार नक्सली वारदातों को देखते हुए सर्चिंग तेज कर दिया गया है।

कार-ऑटो चालकों को ट्रैफिक पुलिस का अल्टीमेटम

कोरबा (आरएनएस)। एसपी उदय किरण के मार्गदर्शन एवं यातायात डीएसपी शिवचरण सिंह परिहार के सुपरविजन में चलाए जा रहे हादसे रोकने के विशेष अभियान के तहत मेन रोड में आवागमन बाधित कर वाहन खड़ी करने वाले कार चालकों एवं ऑटो चालकों को ट्रैफिक पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि उनके द्वारा आवागमन बाधित करने पर हुए हादसे के मामले में उन पर मोव्ही एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। इस हेतु कोरबा शहरी क्षेत्र में एएसआई मनोज राठौर, पाली में एएसआई घनश्याम सिंह राजपूत द्वारा वाहन चालकों को अल्टीमेटम देते हुए उन्हें नोटिस थमाया गया है।

स्कूटी से 20 किलो गांजा के साथ गांजा तस्करी के 2 आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के थाना नगरनार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी में अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन कर रहे है, इसकी सूचना पर पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना की गई, रविवार को ग्राम चोकावाड़ा मे वाहनों की जांच के दौरान जगदलपुर की ओर आ रहे एक स्कूटी जो पुलिस पार्टी को देखकर स्कूटी को मोडक़र वापस भागने की फिराक मे था, जिसे पुलिस के द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया तथा गांजा तस्करी के आरोपी महिला सोनामती एवं प्रभास दोनो निवासी कोलाब नगर, कोरापुट, उड़ीसा के स्कूटी क्रमांक ओडी 24 बीएक्स 735 के कब्जे से 20 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद कर दोनो आरोपियो के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही के बाद गिरफ्तार किया गया है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के नगरपालिका-नगर पंचायतों में बेरोजगारी भत्ता सत्यापन केन्द्र... सत्यापन की तारीखें आवेदकों को सूचना दी जाएगी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नवीन बेरोजगारी भत्ता योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले में कलस्टर जोन/सत्यापन केन्द्र बनाया गया है। नगरपालिका परिषद सांरगढ़ अंतर्गत वार्ड 1,2,3,4,10 के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल सारंगढ़ को, वार्ड 8,9,11,12,13 के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगढ़ को और वार्ड 5,6,7,14,15 के लिए कार्यालय नगरपालिका परिषद सांरगढ़ को सत्यापन केन्द्र/कलस्टर बनाया गया है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ अंतर्गत वार्ड 1,2,3,4,15 के लिए शासकीय प्राथमिक शाला टिकरीपारा बिलाईगढ़ को, वार्ड-5,6,7,8 के लिए शासकीय प्राथमिक शाला बंगलाभाठा बिलाईगढ़ को और वार्ड-9,10,11,12,13,14 के लिए शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल बिलाईगढ़ को सत्यापन केन्द्र बनाया गया है। नगर पंचायत भटगांव अंतर्गत वार्ड 1,2,3,4,5,6,7,8 के लिए प्रे.भु.प्र.सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटगांव को और वार्ड-9,10,11,12,13,14,15 के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटगांव को सत्यापन केन्द्र बनाया गया है। नगर पंचायत सरिया अंतर्गत वार्ड 1,2,3,4,5,6,7,8 के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरिया को और वार्ड 9,10,11,12,13,14,15 के लिए शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरिया को सत्यापन केन्द्र बनाया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत बरमकेला अंतर्गत वार्ड 4,5,13,14,15 के लिए क्रमांक 01 यूथ सेंटर (जनपद पंचायत बरमकेला के सामने) को, वार्ड-6,7,8,11,12 के लिए क्रमांक 2 कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल बरमकेला और वार्ड-1,2,3,9,10 के लिए क्रमांक 3 प्राथमिक कन्या शाला बरमकेला को सत्यापन केन्द्र/कलस्टर बनाया गया है।

गुम इंसान पतासाजी में चक्रधरनगर पुलिस को लगातार मिल रही सफलता, एक ही दिन ढूंढ निकाले दो गुम इंसान

❒ घर में बिना बताए मंदिर दर्शन करने ओडिशा गया युवक और घर छोड़ गई महिला को चक्रधरनगर पुलिस ने स्वजनों से मिलाया

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर द्वारा थाने का प्रभार लेने के बाद लंबित गुम इंसान डायरी की तस्दीक कर जांचकर्ताओं को जांच में गति लाने आवश्यक निर्देश दिये गये जिस पर कल चक्रधरनगर क्षेत्र से गुम हुये दो गुम इंसान (1) सर्वेश्वर सा पिता त्रिभुवन सा उम्र 24 वर्ष साकिन सकरबोगा थाना चक्रधरनगर रायगढ़ (2) ग्राम विश्वनाथपाली की 30 वर्ष वर्षीय विवाहिता को अलग-अलग स्थानों से दस्तयाब कर उनका बयान लेखबद्ध कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है।

जानकारी के मुताबिक गुम इंसान सर्वेश्वर सा के परिजन थाना चक्रधरनगर में सर्वेश्वर के दिनांक 25/03/23 के सुबह घर से बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया, रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 17/2023 दर्ज कर गुमशुदा की पुलिस सघनता से जांच पतासाजी किया जा रहा था जिसके देवघर, ओड़िशा जाने की जानकारी पर जांचकर्ता द्वारा गुमशुदा व परिवारजनों से संपर्क कर गुमशुदा को वापस रायगढ़ लाया गया। सर्वेश्वर ने अपने बयान में बताया कि उसने देवघर मंदिर दर्शन का मन्नत मांगा था इसलिए घर में बिना बताये, चला गया था। थाना प्रभारी की समझाइश के बाद सर्वेश्वर आगे कभी भी बिना बताये घर से कहीं नहीं जाना बताया।

वहीं दिनांक 30.03.2023 को थाना चक्रधरनगर में ग्राम विश्वनाथपाली की 30 वर्ष वर्षीय विवाहिता के अचानक घर से कहीं चले जाने पर परेशान परिजन थाने में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। जांच अधिकारी प्रधान आरक्षक राजश्री वैष्णव के द्वारा महिला के पति व परिजनों से उनके रिस्तेदार व जान परिचितों का नंबर लेकर उनके घर तस्दीक किया गया जिस पर गुम महिला उसके बुआ के घर रायगढ़ में रहने का पता चला। गुम महिला अपने बयान में उसके पति से मनमुटाव पर घर में बिना बताये रायगढ़ बुआ के पास आकर रहना बताई जिसे दस्तयाब कर उसके स्वजनों के सुपुर्द किया गया है तथा पति-पत्नी को दांपत्य जीवन अच्छे से व्यतीत करने की समझाइस दिया गया है। गौरतलब है कि एसएसपी सदानंद के निर्देशन पर एडिशनल एसपी संजय महादेवा द्वारा थाना, चौकी में लंबित गुम इंसानों की समीक्षा कर प्रभारियों को गुम इंसान जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

बेरोजगारी भत्ते के लिए पहले दिन 160 ने किया आवेदन

❒ बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु, पोर्टल सातों दिन 24 घंटे खुला रहेगा

❒ आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि नही, कभी भी कर सकते हैं अप्लाई

❒ अप्रैल माह में किसी भी तारीख को आवेदन करें, मिलेगा पूरे माह का भत्ता

❒ भौतिक सत्यापन की डिटेल आएगी मोबाइल पर

❒ बैंक खाते में आएगी राशि, आवेदक का खुद का होना चाहिए खाता, सही जानकारी भरनी जरूरी

रायगढ़। बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 01 अप्रैल से शुरू हो गयी। आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। इसके लिए शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। पहले दिन 160 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा। बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल https://berojgaribhatta.cg.nic.in समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं। शासन ने प्रदेश के समस्त आवेदकों को यह भी सूचित किया है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। अप्रैल माह में किसी भी तारीख को आवेदन भरने पर भी पूरे अप्रैल माह का भत्ता आवेदकों को मिलेगा।

आवेदन के बाद सभी आवेदकों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-5 पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में 3-4 वार्डों के समूह के क्लस्टर बनाये जायेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन इन क्लस्टरों में किया जायेगा, जिससे किसी भी आवेदक को सत्यापन के लिये अपने घर से दूर न जाना पड़े। सत्यापन के लिए तारीख, समय और स्थान की सूचना मोबाइल में मैसेज के द्वारा आवेदक को मिलेगी।

2 वर्ष पुराना पंजीयन जरूरी, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन- रोजगार अधिकारी आर.जे.राम ने जानकारी देते हुए बताया कि बेरोजगारी भत्ते की पात्रता उन्हीं को है जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना है। नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता नही है। उन्होंने कहा कि आवेदन करने के लिये रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नही है। क्योंकि आवेदन के लिए शासन ने एक अलग पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जायेंगे। ऐसे में पोर्टल पर घर बैठे आवेदन भरा जा सकता है। च्वॉइस सेंटर्स के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

आवेदन के दौरान इन दस्तावेजों की होगी जरूरत- आवेदन का फार्म भरने के पूर्व आवेदक एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कक्षा दसवीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, कक्षा 12 वीं की मार्क शीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें, क्योंकि यह दस्तावेज आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे।

बैंक खाते में आएगी राशि, आवेदक भरें सही जानकारी- आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मैनेजर से कराने के बाद बेरोजग़ारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदक ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो। आवेदक को अपने ही बैंक खाते की जानकारी भरनी है, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं, अन्यथा बैंक मैनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नही होगी।

कोंडागांव में मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव के मरीज

कोंडागांव (आरएनएस)। जिले में पांच नये कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिले हैं जिसमें तिब्बत सुरक्षा बल का 02 जवान भी शामिल हैं। संक्रमित लोगों में सबसे पहले एक युवक पॉजिटिव मिला था। युवक पेशे से चाय-नाश्ता की टपरी लगता है। कुछ दिनों से उसकी तबियत भी खराब चल रही थी। उपचार से पहले हुई कोविड जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल युवक व उसके पूरे परिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उसे आवश्यक दवाइयां भी दे दी गई हैं। कोंडागांव के खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमृतलाल रोलहेडकर ने बताया कि कोंडागांव में तिब्बत सुरक्षा बल के दो जवानों सहित 05 लोग संक्रमित मिले हैं। किसी की भी ट्रेवेल हिस्ट्री नहीं है। बताया जा रहा है कि सभी को वैक्सीन की तीनों डोज भी लग चुके थे। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे परिवार को आईसोलेट कर दिया गया है। आवश्यक सावधानियां बरतने की समझाइश दी गई है। इसके अलावा प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।

क्रिकेट सट्टा : आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लेते 4 आरोपी गिरफ्तार

❒ साइबर सेल और चक्रधरनगर पुलिस की क्रिकेट सट्टा पर कार्यवाही, कैश के साथ 1,73,000 रु. का किक्रेट सट्टा व मोबाइल जब्त

रायगढ़। आईपीएल सीजन के प्रारंभ होने के साथ ही ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लेने वाले सक्रिय हो जाते हैं जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा थाना, चौकी प्रभारियों के साथ साइबर सेल की टीम को शहर तथा तहसीलों में मुखबिर सक्रिय कर कार्यवाही का निर्देश दिया गया है, निर्देशों के पालन में साइबर सेल के सुपरविजन अधिकारी एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा साइबर सेल के स्टाफ को अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय मुखबिरों से क्रिकेट सट्टा की सूचनाएं लेने निर्देशित किया गया। कल दोपहर से ही सायबर सेल के स्टाफ द्वारा मुखबिरों से जानकारी लेना प्रारंभ किया गया और पुख्ता सूचना मिलने पर चक्रधरनगर पुलिस के साथ चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के पंजरी प्लांट शमशान घाट के पास, खर्राघाट बीएसएनएल ऑफिस के पीछे, जिला पंचायत के पास और मरीन ड्राइव खर्राघाट के पास 4 व्यक्तियों को आईपीएल के पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स तथा लखनऊ सुपरजाइंट्स और दिल्ली कैपिटल के क्रिकेट मैच में मोबाइल पर लोगों से क्रिकेट सट्टा लेकर कागज में नोट करते पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के स्मार्ट और कीपैड मोबाइल, नगद रुपए कुल रु.5100 तथा रु.1,73,000 का क्रिकेट सट्टा का विवरण जप्त किया गया है। आरोपी प्रदीप पटेल चांदमारी थाना कोतवाली, पिन्टू हलवाई सर्किट हाउस चांदमारी थाना कोतवाली, शाहिद खान इंदिरा नगर थाना कोतवाली, संदीप सिंह बोईरदादर थाना चक्रधरनगर के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में धारा 4 (क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। क्रिकेट सट्टा पर कार्यवाही को लेकर साइबर सेल के स्टाफ सभी क्षेत्र में मुखबिर लगाये गये हैं, सूचनाओं पर शीघ्र कार्यवाही किया जावेगा।

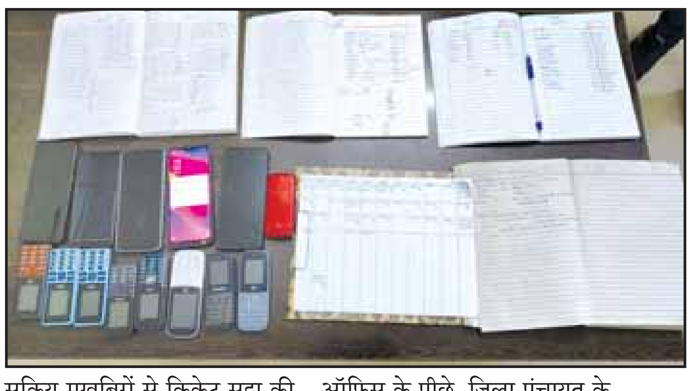

वाहन चालकों को साइबर अपराध की जानकारी देकर किया गया जागरूक

❒ ग्राम चिराईपानी में थाना प्रभारी कोतरारोड लगाई जनचेतना शिविर

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर हाइवे एवं शहर के भीतर चौंक-चौराहों पर वाहनों की जांच कर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी चालकों का चालान किया जा रहा है। वहीं थाना प्रभारीगण पुलिस चौपाल, जनचेतना शिविर के माध्यम से साइबर अपराध के बारे में वाहन चालकों को जानकारी देकर जागरूक भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शाम थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा चिराईपानी में "जनचेतना शिविर" लगाकर वाहन चालकों को साइबर अपराधों, यातायात के नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

थाना प्रभारी ने बताया कि साइबर अपराधी आए दिन नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। किसी भी प्रकार की गुप्त जानकारी किसी अनजान के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। साइबर ठग फ्री का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में सभी का जागरूक रहना जरूरी है। साइबर अपराध से बचने के लिए समय-समय पर अपना आईडी, पासवर्ड बदलते रहे। अंजान मैसेज लिंक या मोबाइल पर आए नोटिफिकेशन पर बिना जानकारी के क्लिक न करें। मोबाइल पर केवाईसी अपटेड करना, सोशल मीडिया अकाउंट हैक, केवाईसी अपटेड करने का बहाना बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, इनसे सचेत रहें।

थाना प्रभारी द्वारा चालकों को बताया गया कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें अगर कोई मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए मिलता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना है। इसी प्रकार नशा करके कभी सड़क पर वाहन न लेकर आए। नशा करने वाले वाहन चालक पर 10 हजार रुपये तक का अर्थदंड और लायसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। शिविर में उपस्थित लोगों को थाना प्रभारी द्वारा सायबर अपराधों, यातायात नियमों के साथ हेल्पलाइन डॉयल 112 का प्रयोग करने के बारे में भी बताया गया है। इस दौरान प्रधान आरक्षक प्रेम सिदार और आरक्षक गोविंद पटेल भी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480